भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †4121

सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन अवसंरचना का विस्तार

†4121. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने क्षेत्र में कम प्रभाव डालने वाली सुलभ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए हरित गतिशीलता वाले उपकरणों का उपयोग करके पहाड़ी या जनजातीय वन क्षेत्रों में पर्यटन अवसंरचना का विस्तार करने पर विचार किया है;

(ख) क्या पर्यटन मंत्रालय ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में अनुसूचित क्षेत्रों में पर्यटन अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ सहयोग किया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इससे वन और परंपरागत भूमि अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा कम विख्यात क्षेत्रों में हिंदी और अंग्रेजी के साथ-साथ स्थानीय जनजातीय भाषाओं में भी पर्यटन सामग्री और संकेत बनाए जाने की संभावना है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): देश में जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में पर्यटन अवसंरचना का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में पर्यटक सामग्री और संकेतक भी विकसित किए जाते हैं।

हालांकि, पर्यटन मंत्रालय अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं 'स्वदेश दर्शन (एसडी)', 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)', 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' - स्वदेश दर्शन की एक उप-योजना और 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके देश भर के पर्यटन स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना विकास के प्रयासों को संपूरित कर रहा है। यह वित्तीय सहायता निधियों की उपलब्धता, योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन, राज्य सरकारों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की प्रस्तुति आदि के अध्यधीन प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने अपनी 'पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई)' नामक पहल के अंतर्गत पर्यटन परियोजनाओं के विकास हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। इन योजनाओं के तहत

स्वीकृत परियोजनाओं में ग्रीन मोबिलिटी, संकेतक आदि से संबंधित घटकों सहित कई घटक शामिल हैं, ताकि आगंतुकों और पर्यटकों को बेहतर पर्यटन सुविधाएँ और बेहतर पर्यटन अनुभव प्रदान किया जा सके।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से, पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 'जनजातीय होमस्टे का विकास' नामक पहल की है। इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का दोहन करना और जनजातीय समुदाय को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है। इस पहल में जनजातीय परिवारों और गाँवों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है:

(क) ग्राम समुदाय की आवश्यकता के लिए 5 लाख रुपये तक
(ख) प्रत्येक परिवार के लिए दो नए कमरों के निर्माण हेतु 5 लाख रुपये तक
(ग) प्रत्येक परिवार के लिए मौजूदा कमरों के नवीनीकरण हेतु 3 लाख रुपये तक

तद्नुसार, पर्यटन मंत्रालय ने जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे के विकास हेतु योजनाबद्ध दिशानिर्देश जारी किए हैं। उक्त योजनाबद्ध दिशानिर्देश विशेष रूप से पंचायतों द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार (पीईएसए) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख नहीं करते हैं। हालाँकि, उक्त योजनाबद्ध दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को होमस्टे के निर्माण/नवीनीकरण हेतु जनजातीय क्षेत्रों में उपयुक्त जनजातीय गाँवों और जनजातीय लाभार्थियों की पहचान करनी होगी और यह कार्य स्थानीय समुदाय के परामर्श से किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय को परियोजना प्रस्तुत करेंगे और संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की कार्यान्वयन एजेंसी को धनराशि जारी की जाएगी, जो आगे चलकर व्यक्तिगत लाभार्थियों/ग्राम समुदायों को एक सुस्पष्ट और पारदर्शी तरीके से धनराशि वितरित करने के लिए ज़िम्मेदार होगी। योजना के दिशानिर्देश संबंधित राज्यों को वर्तमान कानूनों, नियमों और नियामकों के अनुपालन के साथ योजना के कार्यान्वयन के लिए संचालन दिशानिर्देश तैयार करने का भी सुझाव देते हैं।

*****